न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 106/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 27.12.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 शाहिदा सुल्ताना बेवा रफीक अहमद जाति मुसलमान निवासी ग्राम भेरूपुरा तहसील बूंदी जिला बूंदी–राज0 हाल निवासी कुन्हाडी कोटा राज0।
2 नाजिम खान पुत्र रफीक अहमद जाति मुसलमान निवासी भैरूपुरा तहसील बूंदी जिला बूंदी हाज निवासी कुन्हाडी कोटा राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

1 निलोफर सुल्ताना पत्नी समीर खान जाति मुसलमान निवासी छाबडा गैराज के पास बाई पास रोड बूंदी जिला बूंदी–राज0।
2 सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी जिला बूंदी।

उपस्थित : श्री चन्द्रमोहन शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो0 कम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 30.4.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 नं0 7/16 मे पारित निर्णय दिनांक 7.8.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम भैरूपुरा ओझा तह0 बूंदी स्थित आराजी ख0 नं0 851/429 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा जिसके वर्तमान ख0 नं0 85/429/1 है के खातेदार रफीक अहमद आ0 मोहम्मद अहमद मुसलमान की दिनांक 21.8.2001 को मृत्यु होने उपरांत अपीलांट ने मृतक की बेवा व पुत्र होने से वारिसान के नाम फोती इन्तकाल खोलने हेतु तहसीलदार बूंदी के यहां दिनांक 17.9.15 को प्रार्थना पत्र पेश किया। इसी कम मे रेस्पो0 कम–1 ने भी दिनांक 4.7.2016 को प्रार्थना पत्र खातेदार रफीक अहमद वर्तमान मे जीवित होने से फौती इंतकाल नही खोलने बावत पेश किया। दोनो प्रार्थना पत्र की जांच कर तहसीलदार बूंदी द्वारा निर्णय दिनांक 7.8.18 से प्रार्थना पत्र अपूर्ण साक्ष्य के अभाव मे खारिज कर आवेदको को आदेश दिया कि सही वारिस निर्धारित करने हेतु सिविल न्यायालय मे अपना वाद दायर करे। तहसीलदार बूंदी के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75

अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि रफीक अहमद का मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत धनेश्वर के रजिस्टार द्वारा जारी किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। तहसीलदार लाडपुरा ने दिनांक 17.9.15 को वारिसान की जांच की थी जिसमे रफीक अहमद के एक पुत्र नाजिमखान व बेवा शाहिदा सुल्ताना होना बताया है तथा स्कूल की टीसी के मुताबिक भी नाजिम खान के पिता का नाम रफीक अहमद दर्ज हो रहा है इसी प्रकार वार्ड पार्षद राकेश सुमन वार्ड नं0 2 नगर निगम कोटा ने भी दिनांक 2.10.15 को जारी प्रमाण पत्र मे अपीलांट को स्व0 रफीक अहमद का वारिसान होना तथा रफीक अहमद की दिनांक 21.8.2001 को मृत्यु होना अंकित किया है। रेस्पो0 ने रफीक अहमद के जिन्दा होने संबधी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ना तो स्वयं रफीक अहमद को पेश किया और न कोई ऐसा गवाह किया गया जिससे उसके जिन्दा होने का प्रमाण हो। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को रेस्पो0 क्रम–1 से जिरह करने का अवसर भी प्रदान नही किया तथा इस तथ्य पर गौर नही किया कि स्कूल के रेकार्ड मे समीर के पिता का नाम नन्दलाल शर्मा दर्शाया गया है तथा छात्र संरक्षक संबध पिता पुत्र बताया है प्रवेश प्रार्थना पत्र मे भी समीर खान के पिता नन्दलाल शर्मा के हस्ताक्षर नही है इसी प्रकार कक्षा 7 वी व कक्षा 8 बी के उपस्थिति रजिस्टरों मे भी समीर खान आ0 नन्दलाल शर्मा अंकित है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दस्तावेज एंव मौखिक साक्ष्य से मृतक खातेदार के वारिसान होना प्रमाणित कर दिया था किन्तु फिर भी अपीलांट के पक्ष फोती इन्तकाल नही खोलकर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है। जेरअपील निर्णय की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा बताने पर दिनांक 8.9.2018 को होने पर नकल प्राप्त कर अपील अवधि मध्य पेश की गई। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट के पक्ष मे फोती इन्तकाल खोले जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी के खातेदार रफीक अहमद का दिनांक 21.8.2001 को मृत्यु उपरांत फोती नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक करने हेतु दिनांक 17.5.15 को अपीलांट ने प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय बूंदी मे प्रस्तुत किया जिसकी जांच पटवारी भेरूपुरा द्वारा की गई जिसमे रफीक अहमद के एक पुत्र नाजिमखान व बेवा शाहिदा सुल्ताना होना बताया है तथा स्कूल की टीसी के मुताबिक भी नाजिम खान के पिता का नाम रफीक अहमद दर्ज हो रहा है इसी प्रकार वार्ड पार्षद राकेश सुमन वार्ड नं0 2 नगर निगम कोटा ने भी दिनांक 2.10.15 को जारी प्रमाण पत्र मे अपीलांट को स्व0 रफीक अहमद का वारिसान होना तथा रजिस्टार ग्राम पंचायत धनेश्वर तहसीलदार बूंदी द्वारा भी रफीक अहमद का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिस पर तथा अपीलांट के बयानों पर गोर नही किया। रफीक अहमद के जिन्दा होने संबधी रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु ना तो स्वयं रफीक अहमद को पेश किया और न ही कोई ऐसा गवाह किया गया जिससे उसके जिन्दा होने का प्रमाण हो। स्कूल टीसी रेकार्ड मे भी समीर खां पुत्र रसीद अहमद है इस प्रकार वह नन्दलाल शर्मा का पुत्र है। स्कूल प्रवेश फार्म मे समीर खां पुत्र नन्दलाल शर्मा अंकित है। इसी प्रकार कक्षा 7 वी व कक्षा 8 बी के उपस्थिति रजिस्टरों मे भी समीर खान आ0 नन्दलाल शर्मा अंकित है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दस्तावेज एंव मौखिक साक्ष्य से मृतक खातेदार के वारिसान होना प्रमाणित कर दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रफीक अहमद को जीवित होना मान कर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है। रेस्पो0 क्रम–1 को अपने हक हकूको के संबध मे सिविल कोर्ट मे चाराजोही करना था। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे कथन किया कि मुख्तया विवाद रफीक अहमद की विरासत का है। रशीद अहमद के वारिसान पत्नि शाहिदा पुत्र समीर खां है। शाहिदा द्वारा एक ओर विवाह नन्दलाल शर्मा से किया था जिसका पुत्र नाजिम खां है तथा प्रवेश फार्म मे पिता नन्दलाल शर्मा कौम मुसलमान दर्ज

है टीसी मे रफीक अहमद माता शाहिदा सुल्ताना दर्ज है। बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन मार्कशीट व मूल निवासी प्रमाण पत्र मे समीरखान पुत्र रफीक अहमद अंकित है। परीक्षण न्यायालय ने उक्त तथ्यों का अवलोकन कर जेरअपील आदेश पारित किया है जो सही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। प्रश्नगत प्रकरण मे मुख्यतया विवाद ग्राम भैरूपुरा ओझा तह0 बूंदी स्थित आराजी ख0 नं0 851/429 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा जिसके वर्तमान ख0 नं0 85/429/1 है के खातेदार रफीक अहमद आ0 मोहम्मद अहमद मुसलमान की विरासत को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि खातेदार रफीक अहमद आ0 मोहम्मद अहमद मुसलमान की दिनांक 21.8.2001 को मृत्यु होने उपरांत अपीलांट ने मृतक की बेवा व पुत्र होने से वारिसान के नाम फोती इन्तकाल खोलने हेतु तहसीलदार बूंदी के यहां दिनांक 17.9.15 को प्रार्थना पत्र पेश किया। इसी संदर्भ मे रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा भी दिनांक 4.7.2016 को प्रार्थना पत्र खातेदार रफीक अहमद वर्तमान मे जीवित होने से फौती इंतकाल नही खोलने बावत पेश किया। दोनो प्रार्थना पत्र की जांच कर तहसीलदार बूंदी द्वारा निर्णय दिनांक 7.8.18 से प्रार्थना पत्र अपूर्ण साक्ष्य के अभाव मे खारिज कर आवेदको को आदेश दिया कि सही वारिस निर्धारित करने हेतु सिविल न्यायालय मे अपना वाद दायर करे। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड पटवारी भेरूपुरा की रिपोर्ट व स्कूल टीसी तथा स्कूल प्रवेश फार्म तथा रफीक अहमद का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा साक्ष्यो पर गौर किये बिना ही खातेदार रफीक अहमद को जीवित होना मानकर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार के वारिस की पटवार मण्डल सकतपुरा तह0 लाडपुरा द्वारा की गई जांच रिर्पोट अनुसार वारिस के रूप मे एक पुत्र नाजीम खान व बेवा शाहिदा बतायी गई है, परन्तु एक प्रार्थना पत्र समीरखान उर्फ राजा आ0 रफीक अहमद मे समीर खान द्वारा रफीक अहमद का पुत्र होना बताया गया तथा रा0 उ0 प्रा0 वि0 भेरूपुरा ओझा द्वारा पाठशाला प्रवेशानुसार प्रमाण पत्र के आधार पर समीरखान आ0 रफीक अहमद व माता शाहिदा सुल्ताना दर्ज किये गये है जिसमे समीर की जन्मतिथी 3.5.1974 दर्ज की गई है जबकि निकाहनामा के हिन्दी अनुवाद अनुसार दूल्हा रफीक अहमद व दुल्हन के मोरखा दिनांक 23 सितम्बर 1979 लिखी है। इस प्रकार वर्ष 1979 मे निकाह हुई है तो उसके पहले संतान नही हो सकती साथ ही बूंदी चित्तौडगढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नयागांव (झरबालापुरा) मे शाहिदा सुलताना पत्नी नन्दलाल शर्मा के नाम से खाता खुला हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेखो का समुचित परीक्षण कर उक्त दस्तावेजो मे भिन्नता होने से सही वारिसों का निर्णय नही किया जा सकता वर्णित करते हुये, अपूर्ण साक्ष्य के अभाव मे प्रार्थना पत्र खारिज कर आवेदको को सही वारिस निर्धारित करने हेतु सिविल न्यायालय मे वाद दायर करने का आलौच्य निर्णय दिनांक 7.8.2018 पारित किया है जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही पाते है। फलत् अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 7.8.2018 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 30.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा